रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224017
CG-DL-E-30122020-224017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942
No. 672] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 807(अ).—राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31) की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 653(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, **असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i)** में उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए कतिपय प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 21 अक्तूबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं:-** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"**अधिनियम**"** से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31) अभिप्रेत है**;**

(ख) **"**अध्यक्ष**"** से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है**;**

(ग) **"**शासी निकाय**"** से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का शासी निकाय अभिप्रेत है**;** और

(घ) **"**कुलपति**"** से अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है**;**

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. शासी निकाय के सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए निबंधन और शर्तें:-

(1) कुलपति, अधिमानतः रिक्ति के आठ सप्ताह पूर्व**,** अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ञ) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम पांच नामों के पैनल का सुझाव देगा ।

(2) केंद्रीय सरकार**,** शासी निकाय के सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय कुलपति द्वारा सुझाए गए पैनल पर विचार कर सकेगी ।

(3) शासी निकाय में सभी रिक्तियां अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्ति, रिक्ति उद्भूत होने की तारीख से अधिमानतः तीस दिन की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

4. शासी निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हता:-

(1) किसी व्यक्ति का सदस्य के रूप में नामनिर्देशन करने से पूर्व उसे यह घोषणा करनी पड़ेगी कि विश्वविद्यालय के मामलों के साथ किसी भी रीति में उसके हितों का कोई भी टकराव नहीं है और यदि उसके या उसकी पदावधि के दौरान ऐसे किन्हीं हितों का टकराव उत्पन्न होता है तो वह तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देगा/देगी :

परंतु यदि जांच की सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् यह सिद्ध हो जाता है कि शासी निकाय के सदस्य के हित का टकराव है और शासी निकाय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उक्त हित के टकराव से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो शासी निकाय तय कर सकेगी कि उक्त सदस्य शासी निकाय की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा/लेगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति उपनियम (1) में उल्लिखित किसी निरर्हता के अधीन है या रहा है तो यह प्रश्न केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा**,** जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

5. शासी निकाय के किसी सदस्य का हटाया जाना:-

(1) शासी निकाय का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं बना रहेगा, यदि वह:-

(i) अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है**;** या

(ii) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है**;** या

(iii) किसी समय दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया था या है**;** या

(iv) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है**;** या

(v) विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता या करती है**;** या

(vi) अध्यक्ष से छुट्टी के बिना, शासी निकाय की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है या रहती है; या

(vii) नियम 4 में शासी निकाय द्वारा निरर्हित किया गया/गई है:

परंतु कोई सदस्य उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा/जाएगी, जब तक उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की दशा में, पदेन सदस्यों से भिन्न, केंद्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश जारी किया जाएगा ।

6. शासी निकाय की बैठक:-

(i) शासी निकाय, उतनी बार बैठक करेगी जितनी बार आवश्यक हो परंतु किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार होगी;

(ii) शासी निकाय की दो बैठकों के मध्य अंतराल, किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगा;

(iii) शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता, शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा या कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी;

(iv) यदि किसी कारणवश, अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी;

(v) व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले शासी निकाय के कुल सदस्यों के एक तिहाई से शासी निकाय की बैठक की गणपूर्ति होगी:

परंतु यदि कोई बैठक गणपूर्ति के कारण स्थगित होती है तो ऐसे समय और स्थान पर उसी दिन या अन्य ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत, की जा सकती है और यदि बैठक हेतु नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति हो जाएगी;

(vi) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना कार्यसूची सहित, बैठक से कम से कम दस कार्य दिवस पूर्व कुलसचिव द्वारा शासी निकाय के सदस्यों को भेजी जाएगी:

परंतु शासी निकाय का अध्यक्ष किसी ऐसी मद को सम्मिलित कर सकेगा जिसकी सूचना नहीं दी गई थी;

(vii) उपनियम (vi) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, अति आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर शासी निकाय की आपातकालीन बैठक बुला सकेगा;

(viii) जब तीन सदस्यों से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में अध्यक्ष से ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है, तो कार्यसूची की केवल उन मदों पर विचार विमर्श करने लिए जिनके लिए अपेक्षा की गई है, शासी निकाय की आपातकालीन बैठक भी बुलायी जा सकेगी;

(ix) बैठक में विचार किए गए सभी मामले उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और यदि मत बराबर विभाजित हो जाए तो अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा;

(x) बैठकों की सूचना, कार्यसूची और कार्यवृत्त शासी निकाय के कार्यालय में रिकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक सदस्य के पते पर दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल या फैक्स द्वारा परिदत्त किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार भेजा गया है तो यह सम्यक् रूप से परिदत्त हुआ समझा जाएगा;

(xi) जब शासी निकाय की बैठक के बारे में बताया जाना संभव न हो तब किसी कार्यसूची मद को शासी निकाय के सभी सदस्यों को परिचालन द्वारा भेजा जा सकेगा और यह उपनियम (v) में यथा उल्लिखित सदस्यों की गणपूर्ति द्वारा अनुमोदित हुआ समझा जाएगा;

(xii) अध्यक्ष, प्रक्रिया के किसी प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा जो आबद्धकर होगा;

(xiii) जब कोई सदस्य जो शासी निकाय की किसी बैठक में विचार किए जाने के लिए आने वाले किसी मामले में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध है जिसमें उसके हितों का टकराव है तो वह शासी निकाय की ऐसे विचार-विमर्श या चर्चा में भाग नहीं लेगा या लेगी;

(xiv) अध्यक्ष के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और अधिमानतः सात कार्य दिवस की अवधि के दौरान सभी सदस्यों को उनकी टीका-टिप्पणी के लिए परिचालित किया जाएगा और यदि कार्यवृत्त की प्राप्ति के दस दिवस के भीतर कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो वही अंतिम समझा जाएगा;

(xv) यदि किसी सदस्य द्वारा उपांतरण का सुझाव दिया जाता है, तो जारी किए जाने के सात दिवस के भीतर पुष्टि हेतु शासी निकाय के सदस्यों को डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पांच कार्य दिवस के भीतर परिचालित किया जाएगा। अध्यक्ष, उस पर प्राप्त किसी टीका-टिप्पणी को विचार में लेते हुए, कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर कर सकेगा। हस्ताक्षरित कार्यवृत्त शासी निकाय के संकल्प के रूप में माना जाएगा;

(xvi) कार्यवृत्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम अंतर्विष्ट होंगे और जो सदस्य भिन्न राय रखते हों या जो संकल्प के साथ सहमत नहीं हैं, ऐसी भिन्न राय रखने के आधारों के साथ ऐसे सदस्यों के नाम, यदि कोई हों, भी होंगे;

(xvii) कार्यवृत्त पुस्तक, कार्यालय समय के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु हर समय खुली रखी जाएगी।

7. शासी निकाय के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते:-

(1) शासी निकाय के सदस्य, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, विनिर्दिष्ट अशासकीयों के लिए यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते हकदारी की दरों के अनुसार यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(2) शासी निकाय की किसी बैठक भाग लेने वाले किसी सदस्य के संबंध में उत्पन्न यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) शासी निकाय के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी है, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अपनी अनुज्ञेय दरों पर ऐसे स्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वे अपना वेतन आहरण करते हैं। तथापि, यदि, सदस्य द्वारा अपेक्षित होगा तो संबद्ध सदस्यों को, शासी निकाय द्वारा समय समय पर अधिकथित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि वे यह घोषणा करें कि किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का दावा नहीं करेंगे।

(4) शासी निकाय के सदस्य, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से भिन्न, शासी निकाय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए समय-समय पर शासी निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट बैठक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

8. शासी निकाय के कृत्यों की रीति:-

(1) हस्ताक्षरित कार्यवृत शासी निकाय के संकल्प के रूप में जारी किए जायेंगे।

(2) संकल्प के अनुसार की गई कार्रवाई, अधिमानतः उसकी अगली बैठक में, शासी निकाय को रिपोर्ट की जाएगी।

(3) शासी निकाय के सभी आदेश और विनिश्चय, कुलसचिव या शासी निकाय द्वारा इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

(4) शासी निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि:-

(क) शासी निकाय के गठन में कोई रिक्ति या दोष है; या

(ख) शासी निकाय के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है।

[फा. सं. 23011/94/2020-बीपीआर एण्ड डी]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 807(E).—Whereas the draft rules were published, as required under sub-section (1) of section 43 of the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 653 (E), dated the 20th October, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st October, 2020;

And, whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 43 of the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Rashtriya Raksha University Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Body as specified in clause (a) of sub-section 2 of section 13 of the Act;

(c) "Governing Body" means the Governing Body of the University as specified in sub-section (2) of section 13 of the Act; and

(d) "Vice-Chancellor", means the Vice-Chancellor of the University appointed under sub-section (1) of section 22 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Terms and conditions for nomination of members of the Governing Body.-

(1) The Vice-Chancellor shall suggest a panel of not less than five names for each vacancy for nominating the members under clauses (g), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of section 13 of the Act, preferably within eight weeks prior to the likely date of vacancy.

(2) The Central Government may consider the panel suggested by the Vice-Chancellor while nominating the members of the Governing Body.

(3) All vacancies in the Governing Body shall be filled as per the provisions of the Act and the rules made there under and the vacancy shall be filled preferably within thirty days from the date vacancy arises.

4. Disqualification for being a member of the Governing Body. – (1) Prior to the nomination of a person as member, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the University, and in case, any such conflict of interest arises at any later period during his or her tenure, shall resign from the position forthwith:

Provided that if after a due process of inquiry, it is established that there is a conflict of interest of a Governing Body member, and the Governing Body comes to a conclusion that the said conflict of interest is adversely affecting the interest of the

University, then the Governing Body may decide the said member shall not participate in the proceedings of the Governing Body.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in sub-rule (1), the question shall be referred to the Central Government, whose decision shall be final.

5. Removal of a member of the Governing Body. – (1) A member of the Governing Body shall cease to be such member, if he or she,-

(i) resigns his or her membership; or

(ii) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iii) is, or at any time has been, adjudged as insolvent; or

(iv) has been convicted of an offence which in the opinion of the Central Government involves moral turpitude; or

(v) he or she accepts a full time appointment in the University; or

(vi) he or she fails to attend three consecutive meetings of the Governing Body without the leave of the Chairperson; or

(vii) is disqualified by the Governing Body in terms of rule 4:

Provided that no member shall be removed from office unless he or she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) In case of nominated members, the order than *exofficio* members, the order of removal shall be issued by the Central Government.

6. **Meetings of the Governing Body. –**

(i) The Governing Body shall meet as often as necessary, but not less than two times during an academic year.

(ii) The interval between two meetings of the Governing Body shall not be more than six months in any case.

(iii) The meetings of the Governing Body shall be chaired by the Chairperson of the Governing Body or on the recommendation of the Vice-Chancellor.

(iv) The Chairperson, if for any reason, is unable to attend a meeting of the Governing Body any other member chosen by the members present from amongst themselves at the meeting shall preside at the meeting.

(v) One-third of the total members of the Governing Body participating in person or through video conference or tele-conference, shall form the quorum for meeting of the Governing Body:

Provided that, if a meeting is adjourned for want of quorum, it can be held at such other time and place on the same day or other such day, as the Chairperson may determine; and if at such a meeting, a quorum is not present within half an hour from the appointed time for holding the meeting, the members present shall form the quorum.

(vi) A written notice of every meeting along with agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Governing Body, at least ten working days prior to the meeting:

Provided that the Chairperson of the Governing Body may permit inclusion of any item for which due notice was not given.

(vii) Notwithstanding the provisions of sub-rule (vi), the Chairperson may call an emergency meeting of the Governing Body at a short notice to consider urgent matters.

(viii) Emergency meeting of the Governing Body may also be called if the Chairperson is so requisitioned in writing by more than three members to discuss only those items of agenda for which the requisition is made.

(ix) All matters considered at the meeting shall be decided by a majority of votes of members present, and if the votes be equally divided, the Chairperson shall have the casting vote.

(x) The notice, agenda and minutes of meetings may be delivered by hand or registered post or speed post or email or fax to the address of each member as recorded in the office of the Governing Body, and if so sent, shall be deemed to be duly delivered.

(xi) An agenda item may be sent by circulation to all members of the Governing Body when it is not possible to convene meeting of the Governing Body, and shall be deemed to have been approved if concurred by the quorum of members as mentioned in sub-rule (v).

(xii) The Chairperson may decide any question of procedure, which shall be binding.

(xiii) A member who is directly or indirectly interested in any matter coming up for consideration at a meeting of the Governing Body in which he or she has conflict of interest, shall not take part in such deliberation or discussion of the Governing Body.

(xiv) The minutes of the proceedings of a meeting shall be drawn by the Registrar with the approval of the Chairperson and circulated to all members preferably within a period of seven working days, seeking their comments and if no comments are received within ten days of receipt of minutes, the same shall be treated as final.

(xv) In case, modification is suggested by a member, the same shall be circulated within five working days, through post or electronically, to members of the Governing Body for confirmation within seven days from the issue. Chairperson, may, after taking into account any comments received thereon, confirm and sign the minutes. The signed minutes will be treated as Resolution of the Governing Body.

(xvi) The minutes shall contain names of the members present in the meeting and names of members, if any, dissenting from, or not concurring with the resolutions along with grounds of such dissent.

(xvii) The minute book shall be kept open for inspection of the members at all times during office hours.

7. Travelling and other allowances payable to the members of the Governing Body. –

(1) The members of the Governing Body shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as per the rates of travelling allowance or daily allowance entitlements for non-officials specified by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, as amended from time to time.

(2) The cost of travelling allowance and daily allowance arising in relation to a member attending a meeting of the Governing Body shall be borne by the University.

(3) The members of the Governing Body who are Government employees, shall receive travelling allowance and daily allowance from the source from which they draw their salaries at the rates admissible to them. If, however, required by the members, the University shall reimburse the travelling allowance and daily allowance as laid down by the Governing Body from time to time, to the members concerned if they declare that they shall not claim travelling allowance and daily allowance from any other source.

(4) The members of the Governing Body, other than employees of the University, shall be entitled to sitting allowance for attending meeting of the Governing Body as specified by the Governing Body from time to time.

8. Manner of the functions of the Governing Body.-

(1) Signed minutes shall be issued as Resolution of the Governing Body.

(2) The action taken as per the Resolution shall be reported to the Governing Body, preferably in its next meeting.

(3) All orders and decisions of the Governing Body shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorised by the Governing Body in this behalf by a resolution.

(4) No act or proceeding of the Governing Body shall be invalid merely by reason of any,-

(a) vacancy or defect, in the constitution of the Governing Body; or

(b) defect in the appointment of a person as a member of the Governing Body.

[F. No. 23011/94/2020-BPR&D]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Addl. Secy.

IndiaCode

\

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.30 22:40:24 +05'30'